## न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 436/2015 प्रार्थना पत्र

1. हाजरा बानो छीपा पत्नि मोहम्मद शफी जाति मुसलमान निवासी नया मोहल्ला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

——प्रार्थी

**बनाम**

1. उंकार पिता उदा जी जाति बैरवा आयु वयस्क
2. धापू बाई पत्नी उदा जी जाति बैरवा आयु वयस्क
3. रमेशचन्द्र पिता भेरा जी जाति बैरवा आयु वयस्क
4. भंवरलाल पिता भेरा जी जाति बैरवा आयु वयस्क
5. श्रीमती संतोषी बाई पत्नी भेरा जी जाति बैरवा आयु वयस्क
6. शंकरलाल पिता माणा जी जाति बैरवा आयु वयस्क
7. नाथीया उर्फ नाथू पिता गंगाराम जी जाति बैरवा आयु वयस्क
8. चुनीया उर्फ चुना पिता गंगाराम जी जाति बैरवा आयु वयस्क

सभी निवासी देपुर, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थी

: : आदेश : :

दिनांक :– 14.05.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा की आराजी सं. 859, 860, 871 एवं 872 कुल किता 04 कुल रकबा 5–02 बीघा स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार हूं जिसमें प्रवेश करने का एक मात्र रास्ता समीप के खसरा सं. 1253/839 के दक्षिण दिशा से होता हुआ आराजी सं. 840, 841 से होता हुआ मुझ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मे जाया जाता है। विपक्षीगण की जोत की विशिष्टिया जिनमे से अपेक्षित किसी विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने का आशय रखती है। मौके पर

मुख्य रास्ते से आराजी सं. 1253/839 के दक्षिण दिशा मे करीबन 15–20 फीट रास्ता खुला हुआ है, इसी रास्ते से प्रार्थी एवं विपक्षी अपनी खातेदारी जमीन मे जाते है

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द

तथा आराजी सं. 840 तथा 841 से होता हुआ प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी सं. 860 मे जाती है तथा मौके पर रास्ते के रूप मे पूर्व मे भी खातेदार इसी आराजी से रास्ते का उपयोग उपभोग करते थे परन्तु वर्तमान मे उक्त खातेदारो ने रास्ता अवरूद्ध कर दिया तथा मुझ प्रार्थी को उक्त आराजी मे से होकर जाने से रोक दिया है। जिससे मे अपनी खातेदारी की भूमि मे जाने से वंचित हो गई हुं तथा मे मेरी खातेदारी जमीन का उपयोग उपभोग भी नही कर पा रही हू तथा मे अपनी खातेदारी जमीन मे जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा ओर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है इसलिये मे न्यायालय के माध्यम से धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता कायम एवं रेकर्ड नक्शे इत्यादि मे दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही हुं। तथा रास्ते के एवज मे आप न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सम्यक मुआवजा राशि को अदा करने के लिये सदैव तत्पर हूं व आपके आदेश की पालना करने के लिये वचनबद्ध हुं।

अतः प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा मे स्थित आराजी सं. 840 एवं 841 मे रास्ते की भूमि कायम करते हुए 15 फीट चौडे रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाई जावे जो विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चली आ रही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण मे न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार नाथद्वारा से निम्न बिन्दुओ की रिपोर्ट मंगवाई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार हैः–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी सं. 859 रकबा 0–12 बीघा, 860 रकबा 1–09 बीघा, 871 रकबा 2–06 बीघा एवं 872 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 4 रकबा 15–02 राजस्व ग्राम देपुर मे श्रीमती हाजरो बानो पत्नि मोहम्मद शफी छीपा निवासी नाथाद्वारा के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात श्रीमती हाजरो बानो द्वारा दिनांक दिनांक 11.04.14 को कैलाश कुंवर पत्नि नरपत सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई। जिसका नामान्तरण सं. 882 दिनांक 18.07.14 से भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीया को अपनी भूमि मे जाने हेतु रास्ता आराजी सं. 839 चारागाह भूमि से है जो राजीव गांधी पाठशाला–चमारो की डोलिया के पीछे से होकर जाता है। जिसका रकबा 0–05 बीघा है। आराजी 839 चारागाह से आगे रास्ता आ. सं. 841 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द

1–01 बीघा की दक्षिणी पाली से था जो उंकारलाल पिता उदा बैरवा वगेरह खातेदार के नाम दर्ज है। आराजी सं. 841 मे खातेदारी भूमि मे से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0–04 बीघा बनता है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी सं. 841 मे खातेदारी भूमि मे से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0–04 बीघा खेत मे जाने के लिये सबसे न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो व प्रस्तावित करे?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नही होना बताया है।

4. प्रस्तावित रास्ते मे जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल. सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करे?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी सं. 841 मे से 1–01 बीघा मे से रास्ता चाहा गया है जिसका रकबा 0–04 बीघा भूमि प्रस्तावित की गई है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 2,31,930/– (अक्षरे दो लाख इक्कतीस हजार नौ सो तीस) प्रतिबीघा है। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0–04 बीघा की कुल कीमत 46,386 (अक्षरे छियालिस हजार तीन सौ छियासी) होना बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी सं. 841 मे से होकर रास्ता चाह रहे है। विपक्षी की आराजी सं. 841 मे से 1–01 बीघा मे से रास्ते का रकबा 0–04 बीघा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। न्यूनतम दूरी वाला 4 बिस्वा का रास्ता तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तावित किया गया है। चूंकि तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तावित अपनी रिपोर्ट मे 4 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया है। अन्य कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने–जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम देपुर तहसील नाथद्वारा की आराजी सं. 841 रकबा 1–01 बीघा में से रकबा 0–04 बीघा भूमि जो नक्शा ट्रेस में अंकित प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर 2,31,930/– (अक्षरे दो लाख इक्कतीस हजार नौ सो तीस) प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा 4 बिस्वा की कुल किमत 46,386/– का दुगुना राशि 92,772/– (अक्षरे बरानवे हजार सात सौ बहत्तर रूपये मात्र) प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सं. 1 से 8 को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार क्षतिपूर्ति के रूप मे दिलाई जावे। इस भूमि को अप्रार्थी के खातेदारी भूमि में से कम करते हुए राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग–उपभोग हेतु खुलवाया जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर पालना पेश करे। पालना हेतु तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द